[2022] 15 एस. सी. आर. 299

क.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और ए. एन. आर. का समर्थन करता है।

वी.

भारत का संघ और ए. एन. आर.

(2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 433) 18 मई, 2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010:

एसएस।14, 21 – उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, यदि एन. जी. टी. द्वारा अपदस्थ किया जाता है-आयोजितः एन. जी. टी. अधिनियम में निहित कुछ भी निहित या स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालयों के यू/आर्ट्स के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है। 226 और 227-न्यायिक समीक्षा की शक्ति एन. जी. टी. अधिनियम द्वारा अक्षुण्ण और अप्रभावित रहती है-उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के अधिनिर्णय को न तो हटाया जा सकता है और न ही इसे हटाया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना-भारत का संविधान-कला का एक हिस्सा है।226 और 227।

ग

डी.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण-एनजीटी की सीट-याचिका कि हर राज्य में एनजीटी बेंच होनी चाहिए-आयोजित की गईः एन. जी. टी. पीठों की सीट आवश्यकता के अनुसार स्थित हो सकती है और प्रत्येक राज्य में उनका पता लगाना आवश्यक नहीं है-भोपाल एन. जी. टी. को जबलपुर में स्थानांतरित करने की प्रार्थना अपरिवर्तित है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

ई.

एस।22 – एन. जी. टी. यू/एस. के फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का उपाय।22 – आयोजित किया गयाः सुप्रीम कोर्ट यू/एस में सीधी अपील का उपाय।22 यह संविधान के अधिकार के बाहर है-जहां तक एनजीटी के निर्णयों से उच्च न्यायालय में अपील तंत्र का संबंध है, एनजीटी अधिनियम के अधिनियमन और उच्चतम न्यायालय में अपील के प्रावधान के बावजूद अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक वादी के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार उपलब्ध है।22 – भारत का संविधान।

च

एस।3 – की वैधता-आयोजितः धारा 3 केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति सौंपने का मामला नहीं है -धारा 3 को भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया गया है।

जी.

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम**, 2010** की धारा **14** और **22** के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ए को बाहर नहीं करता है।

एच.

अनुच्छेद **226** और **227** के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की धारा **22** के तहत उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का उपाय भारत के संविधान के अंतर्गत है।एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की धारा **3** केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति सौंपने का मामला नहीं है।एन**.** जी**.** टी**.** पीठों की सीट आवश्यकता के अनुसार स्थित हो सकती है और प्रत्येक राज्य में उनका पता लगाना आवश्यक नहीं है।भोपाल एन**.** जी**.** टी**.** को जबलपुर में स्थानांतरित करने की प्रार्थना अपरिवर्तित है और खारिज कर दी गई है।**[**पैरा **38] [233-**जी**-**एच**; 323-**ए**-**सी**]**

क्या एनजीटी एनजीटी अधिनियम की धारा **14** और **22** के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है**?**

ग

2. अनुच्छेद **226,227** और **32** के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और यह अलंघनीय है।एनजीटी उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद **226** और **227** के अधिकार क्षेत्र में आता है।उच्च न्यायालय एनजीटी के आदेशों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद **226** और **227** के तहत याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं। इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय**,** अदालतें अनिवार्य रूप से इस बात पर उचित विवेक का प्रयोग करती हैं कि याचिका को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए।एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम में निहित कुछ भी निहित या स्पष्ट रूप से**,** अनुच्छेद **226** और **227** के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम द्वारा बरकरार और अप्रभावित रहती है। उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के विशेषाधिकार को न तो हटाया जा सकता है और न ही इसे हटाया जा सकता है**,** क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निश्चित रूप से संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।उच्च न्यायालय प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर कानून के साथ मिलकर अपने विवेक का प्रयोग करता है।चूँकि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अप्रभावित रहता है**,** इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।**[**पैरा **12-15] [314-**सी**,** जी**-**एच**; 325-**ए**,** एफ**-**एच**; 316-**ए**]**

डी.

ई.

च

एल चंद्र कुमार बनाम यू. ओ. आई. 1997 (3) एस. सी. सी. 261:[1997] (2) एस. सी. आर. 1186-पर निर्भर।

जी.

क्या एनजीटी की एक सीट हर राज्य में होनी चाहिए**?**यदि हां**,** तो क्या उन्हें हमेशा उच्च न्यायालय के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए**,** इस मामले में भोपाल के बजाय जबलपुर कौन सा होगा**?**

एच.

301

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ ए

क.

3.1 एन**.** जी**.** टी**.** सी**.** ए**.** टी**.** के विपरीत सीमित संख्या में मामलों को पूरा करता है**,** जहां मामलों की मात्रा काफी अधिक है।एन**.** जी**.** टी**.** और सी**.** ए**.** टी**.** द्वारा संभाले गए मामलों की मात्रा तुलनीय नहीं है।सेवा संबंधी मामलों की बड़ी मात्रा को देखते हुए**,** यह सुझाव दिया गया था कि कैट की पीठ प्रत्येक उच्च न्यायालय की पीठ पर स्थित होनी चाहिए।लेकिन इस तरह का तर्क एनजीटी पर लागू नहीं हो सकता है**,** जहां इसकी स्थापना की तारीख से कुल मिलाकर क्षेत्रवार विचाराधीनता केवल **2237** मामले हैं।**[**पैरा **17** और **19] [316-**जी**; 317-**ई**]**

3.2 कम केस लोड के साथ**,** यदि सभी **28** राज्यों और **8** केंद्र शासित प्रदेशों में एनजीटी पीठों की स्थापना की जाती है**,** तो इन मंचों के न्यायाधीश और अन्य सदस्य अपने अंगूठे हिलाते रह सकते हैं।तदनुसार**,** प्रत्येक राज्य में एक एनजीटी पीठ की अनुमति देने का कोई आधार नहीं देखा जाता है।**[**पैरा **21] [317-**एच**; 318-**ए**]**

ग

3.3 याचिकाकर्ता ने कहा कि एनजीटी की सीट जबलपुर में होनी चाहिए जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट स्थित है।भोपाल पीठ कई राज्यों की जरूरतों को पूरा करती है।ऐसी स्थिति में**,** पीठ का स्थान जहां तक संभव हो**,** तीनों राज्यों के वादियों के लिए सुविधाजनक और सुलभ होना चाहिए।यहाँ उत्तरदाताओं का अनुमान है कि भोपाल राजस्थान**,** मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में केंद्रीय रूप से स्थित है।इसके अलावा**,** मध्य प्रदेश की राजधानी होने के नाते भोपाल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बिना किसी कठिनाई के सुलभ है।यह इस बात की सराहना करेगा कि भोपाल एन**.** जी**.** टी**.** के लिए एक अच्छा स्थान विकल्प है जो तीन राज्यों के वादियों की जरूरतों को पूरा करता है।**[**पैरा **22] [318-**बी**-**डी**]**

डी.

ई.

3.4 भोपाल पीठ में कम मामलों का भार**,** जबलपुर में पीठ का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं की कठोर याचिका से मेल नहीं खाता है।इसलिए इसे याचिकाकर्ताओं **(**जो जबलपुर में वकीलों का अभ्यास कर रहे हैं**)** द्वारा मुख्य रूप से अपने पेशेवर हित का समर्थन करने के प्रयास के रूप में माना जाता है।एनजीटी पीठ को भोपाल से जबलपुर स्थानांतरित करने की एसोसिएशन की याचिका के लिए कोई अन्य तर्कसंगत आधार नहीं देखा गया है।याचिकाकर्ताओं को इस तरह की राहत देने का कोई औचित्य नहीं है।**[**पैरा **23] [318-**ई**]**

च

जी.

एस**.** पी**.** संपत कुमार बनाम भारत संघ **(1987) 1** एससीसी

124 :[1987] (1) एस**.** सी**.** आर**. 435-**लागू नहीं होता है।

एच.

क्या एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की धारा **22** के तहत एन**.** जी**.** टी**.** के फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील करने का उपाय संविधान के अधिकार के बाहर है**?**क्या एन**.** जी**.** टी**.** के फैसलों से उच्च न्यायालयों को एक अपील तंत्र प्रदान किया जाएगा**?**

4.1 यह देखने की आवश्यकता है कि जब किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ क़ानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान किया जाता है**,** तब भी उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद **226** या **227** के तहत उपचार समाप्त नहीं होता है।इसके अलावा**,** एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की धारा **22** के तहत अपील**,** सी**.** पी**.** सी**.** की धारा **100** के तहत आधारों तक सीमित है और सर्वोच्च न्यायालय नियमित प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।हालांकि**,** अनुच्छेद **226** या **227** के तहत**,** अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर और सिद्धांतों के तहत भी उपचार

ग

एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनामवेड्सबरी

निगम, एक पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध हैं।विवेकाधिकार का प्रयोग किए जाने के अधीन, प्रभावित वादी अनुच्छेद **226** या **227** के तहत उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और ऐसे मामलों में, संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत एक एसएलपी को उच्च न्यायालय के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय में भी बनाए रखा जा सकता है।यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है और यह एक अंतर्निहित अधिकार नहीं है।इसलिए उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान मैंडमस की रिट जारी करके नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह न्यायिक आदेश के माध्यम से कानून बनाएगा और शक्तियों के पृथक्करण की अच्छी तरह से स्थापित अवधारणा पर प्रभाव डालेगा।एक वादी के लिए किसी ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय जाने के लिए उपलब्ध विकल्पों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है या अनुच्छेद **226** या **227** के तहत आगे बढ़ता है।यदि आवश्यक हो, तो कोई पक्ष अनुच्छेद **136** याचिका के माध्यम से भी इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।एक पक्ष के लिए इस तरह के विकल्प उपलब्ध होने के कारण अधिनियम की धारा **22** को निरस्त करने के लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं पाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान करता है।**[**पारस **24-26] [319-A-E]**

डी.

ई.

च

4.2 एक वादी पक्ष को यह भी महसूस करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में, यदि विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो दूसरे पक्ष के वादी को इस न्यायालय के समक्ष अपने मामले का बचाव करना होगा और उस स्तर पर वे दिल्ली की दूरी के बारे में शिकायत नहीं कर सकते।इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का उपाय ए

जी.

एच.

303

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ ए

एनजीटी अधिनियम के तहत एनजीटी के फैसले को पर्यावरण कानून के क्षेत्र में वादियों को न्याय तक पहुंच से वंचित करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।**[**पैरा **27] [319-**एफ**]**

4.3 यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दुर्गम होने के बारे में उठाया गया आधार, पूरे देश के वादियों पर समान रूप से लागू होगा, जिन्हें अनुच्छेद **136** या अनुच्छेद **32** या किसी अन्य प्रावधान के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा करनी होती है।संविधान के अनुच्छेद **130** के तहत प्रावधान के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय की दिल्ली से दूर कोई अन्य पीठ नहीं है।इन परिस्थितियों में पहुंच न होने का अनुरोध करते हुए याचिकाकर्ता संयोग से नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के स्थान पर भी सवाल उठा रहे हैं।इसके बावजूद इस तरह का विवाद तर्कहीन और स्वीकार्य नहीं होगा।**[**पैरा **30] [320-**डी**-**ई**]**

ग

4.4 यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि यह स्वयं सर्वोच्च न्यायालय है जिसने सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील के साथ पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की थी।यह एनजीटी अधिनियम की धारा **22** की संवैधानिक वैधता पर प्रस्ताव का भी समर्थन करेगा और यह कि यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।**[**पैरा **31] [320-**एफ**]**

डी.

क्या एन. जी. टी. अधिनियम की धारा **3** संविधान के अधिकार के बाहर है क्योंकि यह अत्यधिक प्रत्यर्पण के दुष्प्रभावों से ग्रस्त है**?5.1** यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एनजीटी के संचालन, जिसमें इसकी पीठों का स्थान भी शामिल है, की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बारीकी से निगरानी की गई थी।यह आगे देखा गया है कि केंद्र सरकार को किसी विशेष क्षेत्रीय क्षेत्र के

भीतर पर्यावरण मुकदमे की मांग को ध्यान में रखते हुए एनजीटी अधिनियम की धारा **3** के तहत एनजीटी की बैठक के सामान्य स्थान और इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करना है।सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों के साथ**-**साथ समय**-**समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा भी निर्देशित किया जाना है।चूँकि सरकार इस न्यायालय के मार्गदर्शन में इस मुद्दे पर काम कर रही है और सरकार एनजीटी अधिनियम के उद्देश्यों का पालन करने के लिए बाध्य है**,** इसलिए सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय देखे जाते हैं।इसलिए न्यायालय की राय है कि एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की धारा **3** अत्यधिक प्रत्यर्पण का मामला नहीं है।**[**पैरा **32] [321-**ए**-**सी**]**

ई.

च

जी.

एच.

304 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ और ए. एन. आर.

(2014) 10 एससीसी **1:[2014] (10)** एस**.** सी**.** आर**. 1-**लागू नहीं होता है।

5.2 एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की धारा **3** को भारत के संविधान के अंतर्गत पाया गया है।हालाँकि**,** यह स्पष्ट किया जाता है कि निष्कर्ष इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है।**[**पैरा **36] [322-**एफ**]**

एम**.** सी**.** मेहता बनाम भारत संघ **(1986) 2** एससीसी **176:[1986] (1)** एस**.** सी**.** आर**. 312;** इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो**-**लीगल एक्शन

बनाम भारत संघ (1996) 3 एस. सी. सी. 212:[1996] (2) एससीआर

503; वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ

ग

(1996) 5 एससीसी 647:[1996] (5) पूरक।एससीआर 241; ए. पी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो**.**एम**.** वी**.** नायडू **(1999) 2**

एससीसी 718:[1999] (1) एससीआर 235; ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड **II** बनाम प्रो**.**एम**.** वी**.** नायडू **(2001) 2** एस**.** सी**.** सी**. 62:[2000] (5)** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 249;** भारत संघ बनाम विमल भाई

डी.

2009 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 12065; नगर निगम

ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य। **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 897;** मंत्री टेकज़ोन **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**फॉरवर्ड फाउंडेशन **(2019) 18** एस**.** सी**.** सी**. 494;** व्हर्लपूल कॉर्प।बनाम ट्रेड मार्क्स के पंजीयक**,** मुंबई और अन्य **(1998)**

8 एससीसी 1:[1998] (2) पूरक।एससीआर 359; संबद्ध

ई.

प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनामवेड्सबरी निगम [1948] 1 के. बी. 223; आर. के. जैन बनाम यूनियन ऑफ

भारत (1993) 4 एससीसी 119:[1993] (3) एससीआर 802; रोजर

मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड **(2020) 6** एससीसी **1:**

[2019] (16) एस**.** सी**.** आर**. 1-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

च

[1986] (1) एससीआर **312**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.1**

[1996] (2) एससीआर **503**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.1**

[1996] (5) पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 241** पैरा **5.1 [1999] (1)** एस**.** सी**.** आर**. 235** पैरा **5.1 [2000] (5)** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 249** पैरा **5.1 (2019) 18** एस**.** सी**.** सी**. 494** पैरा **8** को संदर्भित

जी.

[1997] (2) एससीआर **1186**

पर भरोसा किया

पारस **12,13,14** ए

एच.

305

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ ए

[1998] (2) पूरक।पैरा **14 [1987]** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 359 (1)** अप्रयोज्य एस**.** सी**.** आर**. 435** पैरा **19,22 [1993] (3)** पैरा **28 [2019]** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 802 (16)** पैरा **29 [2014]** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 1 (10)** एस**.** सी**.** आर**. 1** अप्रयोज्य पैरा **34**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 433।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) सिद्धार्थ आर. गुप्ता, मृगांक प्रभाकर, शिवम सिंह बघेल, सुश्री साक्षी बंगा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

ग

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सौरभ मिश्रा, अमोल चंदन, सुश्री वंशजा शुक्ला, सुश्री शिविका मेहरा, अमन शर्मा, मानवेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह मक्कर, मिश्रा सौरभ, राजन कुमार चौरसिया, सनी चौधरी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता अधिवक्ता संघ और जिला अधिवक्ता संघ हैं, दोनों ने जबलपुर में अपने पंजीकृत कार्यालयों के साथ एक चुनौती दी है।

ई.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (इसके बाद संदर्भित)

"एनजीटी अधिनियम" के रूप में), और निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करें:- "(क) प्रमाणपत्र का एक उपयुक्त रिट या समान प्रकृति का कोई अन्य रिट जारी करें जिसमें निर्देश दिया जाए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की पीठ उन सभी स्थानों पर स्थापित की जाए जहां उच्च न्यायालय का प्रमुख स्थान स्थित है।

च

(ख) यह सुनिश्चित करें और घोषित करें कि भोपाल में एनजीटी की पीठ की प्रस्तावित बैठक संवैधानिक और/या टिकाऊ नहीं है।

जी.

(ग) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 14 आर/डब्ल्यू 22 के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करें, जहां तक वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का तात्पर्य रखते हैं।"

एच.

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

2. इस रिट याचिका में जिन मुद्दों पर विचार किया जाना है वे हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

क्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (इसके बाद "एनजीटी" के रूप में संदर्भित) एनजीटी अधिनियम की धारा 14 और 22 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है?ख. क्या एनजीटी की एक सीट हर राज्य में होनी चाहिए?यदि हां, तो क्या उन्हें हमेशा उच्च न्यायालय के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, इस मामले में भोपाल के बजाय जबलपुर कौन सा होगा?

ग. क्या एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 22 के तहत एन. जी. टी. के फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का उपाय संविधान के अधिकार के बाहर है?क्या एनजीटी के फैसलों से उच्च न्यायालयों को एक अपील तंत्र प्रदान किया जाएगा?

ग

डी. क्या एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 3 संविधान के अधिकार के बाहर है क्योंकि यह अत्यधिक प्रत्यर्पण के दुष्प्रभावों से ग्रस्त है?

डी.

3. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ आर. गुप्ता को सुना है।भारत संघ का प्रतिनिधित्व श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ करते हैं।मध्य प्रदेश राज्य (प्रतिवादी संख्या 2) का प्रतिनिधित्व विद्वान वकील श्री सनी चौधरी द्वारा किया जाता है।

ई.

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क

4.1 उच्च न्यायालय और दीवानी न्यायालयों के समक्ष वकालत करने वाले जबलपुर स्थित वकीलों के मुद्दे का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एनजीटी की भोपाल पीठ मनमाने ढंग से स्थित है और निर्णय एस. पी. संपत कुमार बनाम के निर्देश के साथ असंगत है। भारत संघ 1 जहाँ इस न्यायालय ने कहा कि किसी भी न्यायाधिकरण की प्रभावशीलता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, इसका स्थान उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ उच्च न्यायालय का प्रमुख स्थान स्थित हो।चूंकि एनजीटी की पीठ भोपाल में तीन राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को कवर करने वाले पर्यावरण संबंधी मामलों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने तीनों राज्यों में से प्रत्येक में उच्च न्यायालयों की प्रमुख सीटों पर एनजीटी की पीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है और याचिकाकर्ता चाहते हैं कि यह जबलपुर में हो।

च

जी.

1 (1987) 1 एससीसी 124, पैरा।8.

एच.

307

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

क.

4.2 याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पर्यावरणीय मुकदमेबाजी मुख्य रूप से स्थानीय कारकों से संबंधित है और इसलिए, पर्यावरण न्याय प्राप्त करने के लिए वादियों को दूर के स्थानों पर जाने की आवश्यकता के बिना, एक आसानी से सुलभ और उपलब्ध मंच का गठन करना आवश्यक है।4.3 याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एन. जी. टी. अधिनियम में धारा 14 और धारा 22 को शामिल करने के माध्यम से अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और भूमिका समाप्त हो जाती है। इसलिए, इसने संविधान की मूल विशेषता को प्रभावित किया है और इस प्रकार एनजीटी अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित धारा 14 के प्रावधानों को इस हद तक निरस्त कर दिया जाना चाहिए कि वे उच्च न्यायालयों को एक उच्च न्यायालय के रूप में अपनी शक्तियों से वंचित कर देते हैं।

ग

4.4 एनजीटी की बैठक के सामान्य स्थान की पहचान करने और एनजीटी अधिनियम की धारा 4 (3) के तहत अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करने की केंद्र सरकार की शक्ति का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह की शक्ति दिशाहीन होने के कारण, अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है।जबलपुर में एनजीटी पीठ के स्थान पर जोर देते हुए जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, याचिकाकर्ता जबलपुर के बजाय भोपाल में सीट के चयन पर सवाल उठाते हैं, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह पर्यावरण कानून के क्षेत्र में वादी के न्याय प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित करता है।

डी.

ई.

4.5 याचिकाकर्ता की धारणा में एनजीटी अधिनियम की धारा 22 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील का उपाय, व्यावहारिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वादियों के लिए न्याय तक पहुंच से इनकार करने के बराबर है और यह भारत के संविधान के

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के समक्ष सुविधाजनक रूप से सुलभ उपाय को दरकिनार करके न्याय तक पहुंच के अंतर्निहित उद्देश्य को विफल करने के लिए तर्क दिया जाता है।

च

4.6 याचिकाकर्ताओं का अगला तर्क है कि एनजीटी को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध अधिकार और स्वायत्तता प्राप्त नहीं है और एनजीटी के न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों की सेवा की शर्तों, कार्यकाल और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह न तो प्रभावी है और न ही उच्च न्यायालयों का उचित विकल्प है, जो एनजीटी अधिनियम के अधिनियमन से पहले संबंधित हरित पीठों के माध्यम से पर्यावरणीय विवादों का मनोरंजन कर रहे थे। विशेष रूप से, एन. जी. टी. के पीठासीन सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा की शर्तें और अन्य संबंधित प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर नहीं हैं और इसलिए, एन. जी. टी. केवल एक ही भूमिका निभा सकता है।

जी.

एच.

"उच्च न्यायालयों के लिए एक प्रभावी और उपयुक्त विकल्प होने के बजाय पूरक या अधीनस्थ भूमिका।"

प्रत्यर्थी की ओर से तर्क

5.1 इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की परियोजना के लिए तर्कों का नेतृत्व करने वाले विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि एनजीटी की स्थापना पर्यावरण मामलों से निपटने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए उकसावे और सिफारिशों के कारण की गई थी और संसद से बार-बार अनुरोध किया गया था कि वह बेंच में योग्य न्यायाधीशों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ विशेष पर्यावरण अदालत बनाए।विद्वान महान्यायवादी दिए गए उपदेशों का उल्लेख करते हैं

उच्चतम न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ 2, भारतीय पर्यावरण-कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम भारत संघ 3, वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ 4, ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v.प्रो.एम. वी. नायडू 5 और ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड II बनाम प्रो.एम. वी.

ग

नायडु 6 और विधि आयोग की 186 वीं रिपोर्ट के बाद संसद द्वारा उनकी स्वीकृति, जिससे पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हुई।विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि पर्यावरण न्यायालयों से अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए।इस पृष्ठभूमि में विद्वान ए. जी. ने प्रस्तुत किया कि एन. जी. टी. अधिनियम लागू किया गया था और जिन पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई अब तक उच्च न्यायालय में हरित पीठों द्वारा की जाती थी, उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं एन. जी. टी. को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था क्योंकि यह पर्यावरण के क्षेत्र में त्वरित और विशेष न्याय प्रदान करने में मदद करेगा।

डी.

ई.

5.2 जहाँ तक एन. जी. टी. के निर्माण और स्थापना और उनकी पीठों के स्थान का संबंध है, विद्वान ए. जी. प्रस्तुत करते हैं कि यह उच्चतम न्यायालय की सक्रिय देखरेख में किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित प्रस्तावित बैठक स्थलों को इस न्यायालय की सहमति प्राप्त होने के बाद ही, संबंधित पीठों और उनके बैठक के स्थान को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि संबंधित अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार था।प्रत्यर्थियों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी अधिनियम के कार्यान्वयन और इसकी पीठों की स्थापना की निगरानी और निरीक्षण किया

च

भारत संघ बनाम। विमल भाई (2009 का एसएलपी (सी) संख्या 12065) और

जी.

इसके द्वारा 19.9.2011,6.12.2012 और 15.3.2013 पर पारित किए गए विभिन्न आदेश

2 (1986) 2 एससीसी 176, पैरा।22. 3 (1996) 3 एस. सी. सी 212, पैरा.6. 4 (1996) 5 एससीसी 647, पैरा। 25.

5 (1999) 2 एससीसी 718, पैरा।23, 42, 47, 48, 52. 6 (2001) 2 एस. सी. सी 62, पैरा.73.

एच.

309

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

क.

न्यायालय यह दर्शाएगा कि एन. जी. टी. की अलग-अलग पीठ की स्थापना कई राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी और भोपाल में एन. जी. टी. के लिए जिस स्थान को चुना गया था, उसे भी उच्चतम न्यायालय की मंजूरी थी।

5.3 विद्वान महान्यायवादी ने आगे तर्क दिया कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक वादी के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उपाय एन. जी. टी. अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद उपलब्ध है और एन. जी. टी. की धारा 22 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान विद्वान ए. जी. द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति एन. जी. टी. अधिनियम से अप्रभावित रहती है क्योंकि यह हमारे संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, जैसा कि एल.

चंद्र कुमार बनाम यू. ओ. आई. 7.

ग

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की पृष्ठभूमि

6. एन. जी. टी. अधिनियम का अग्रदूत भारत के विधि आयोग की 186 वीं रिपोर्ट थी, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार विभिन्न निर्णयों के माध्यम से संसद से विशेष पर्यावरण अदालतों की स्थापना करने का आग्रह करने के बाद आई थी, जिसमें पीठ में योग्य न्यायाधीश और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे।उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे पर्यावरण न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील की जानी चाहिए।विधि आयोग ने तब पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष अदालत के निर्माण की सिफारिश की।विधि आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के लिए स्थानीय जांच करना या साक्ष्य प्राप्त करना सुविधाजनक नहीं है।इसके अलावा, वरिष्ठ न्यायालयों को उनकी सहायता के लिए स्थायी आधार पर विशेषज्ञ पर्यावरण वैज्ञानिकों तक पहुंच नहीं होगी।एन. जी. टी. की कल्पना सभी बहु-विषयक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए एक पूरक विशेष मंच के रूप में की गई थी, दोनों मूल के साथ-साथ एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में।विशेष मंच को सामान्य अदालतों में लागू साक्ष्य के नियमों से भी मुक्त कर दिया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए विशिष्ट जनादेश के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, विशेषज्ञों से परामर्श आदि के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी।

डी.

ई.

च

7. एन. जी. टी. अधिनियम के उद्देश्य को समझने के लिए, हम उपयोगी रूप से नगर निगम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं -

जी.

ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य। 8 जहाँ निम्नलिखित था

हममें से एक (न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय) ने 3 न्यायाधीशों की पीठ के लिए कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

7 1997 (3) एससीसी 261।

8 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 897।

एच.

310 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

" 24 एनजीटी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर अब ध्यान देने की आवश्यकता होगी।उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुच्छेद 2,3,4,5 और 6 को प्रासंगिक होने के कारण नीचे निकाला गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"2. भारत जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का एक पक्ष है, जिसमें भारत ने भाग लिया और राज्यों से मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। जून, 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत ने भाग लिया था, ने राज्यों से निवारण और उपचार सहित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही तक प्रभावी पहुंच प्रदान करने और प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों के लिए दायित्व और मुआवजे के संबंध में राष्ट्रीय कानून विकसित करने का भी आह्वान किया है।3. स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भारत में न्यायिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया है।

ग

डी.

4.राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 को किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय होने वाली किसी भी दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए सख्त दायित्व प्रदान करने और व्यक्तियों, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देने की दृष्टि से ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।हालाँकि, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, जिसके पास बहुत सीमित जनादेश था, की स्थापना नहीं की गई थी।राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 को उन क्षेत्रों के प्रतिबंधों के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग, संचालन या प्रक्रियाएं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं की जाएंगी या की जाएंगी।राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के पास अपने अधिकार क्षेत्र के संकीर्ण दायरे के कारण सीमित कार्यभार है।

ई.

च

जी.

एच.

311

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

क.

5. उच्च न्यायालयों में लंबित बड़ी संख्या में पर्यावरणीय मामलों और ऐसे मामलों में बहु-विषयक मुद्दों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से विशेष पर्यावरण न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया।उसी के अनुसार, विधि आयोग ने पर्यावरण कानूनों से संबंधित मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार वाले पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की है।

6.पूर्वगामी अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संबंधी मामलों में शामिल बहु-विषयक मुद्दों को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।तदनुसार, पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित दीवानी मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना शामिल है।"

ग

डी.

25. उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने से पता चलता है कि इसका पैराग्राफ 4 राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 (एन. ई. टी.) को संदर्भित करता है, जिसमें खतरनाक पदार्थों को संभालते समय होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले सख्त दायित्व और नुकसान का प्रावधान किया गया है।इसी संदर्भ में यह देखा गया कि एन. ई. टी. के पास बहुत सीमित और संकीर्ण जनादेश और अधिकार क्षेत्र था।इसके बाद, पैरा 5 में यह दर्ज किया गया है कि उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में पर्यावरणीय मामले लंबित हैं जिनमें बहु-अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल हैं और ऐसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से विशेष पर्यावरण न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया था।

ई.

च

26. महत्वपूर्ण रूप से, उद्देश्यों और कारणों का विवरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा होने के कारण एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी संदर्भित करता है।यह पहले उल्लिखित 186 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप था, जिसमें कहा गया था कि इस प्रकार बनाए गए निकाय का उद्देश्य "एक निष्पक्ष, उपवास के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21,47,48 ए, 51 ए (जी) के उद्देश्यों को प्राप्त करना" होगा।

जी.

एच.

और संतोषजनक न्यायिक प्रक्रिया।जीवन के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित संस्थान को अनिवार्य रूप से सबसे उदार निर्माण दिया जाना चाहिए।

27. उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 2 में जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लेख किया गया है, जिसमें सरकारों और लोगों से मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए साझा प्रयास करने का आह्वान किया गया था।इसलिए, न केवल पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए बल्कि इसकी रक्षा के लिए भी इस तरह के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अधिनियमित नगरपालिका कानून को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षात्मक, निवारक और उपचारात्मक कार्य के निर्वहन के लिए साधन प्रदान किया जाना चाहिए।इसलिए एन. जी. टी. के अधिदेश और अधिकार क्षेत्र को व्यापक आयाम का माना जाता है और यह एक सुई जेनरिस फोरम की प्रकृति में है।

डी.

28. जून, 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत ने भाग लिया, ने राज्यों को न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही तक प्रभावी पहुंच प्रदान करने, निवारण और उपचार निर्धारित करने और प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों के लिए दायित्व और मुआवजे के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने के लिए प्रभावित किया।अधिनियम की प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को समझने पर जोर दिया गया था, जिसे भारत में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा स्वीकार किया गया था।राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जन्म हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए ऐसे बुलंद सपनों के साथ हुआ था।

ई.

च

29. पर्यावरणीय मामलों में उत्पन्न होने वाले बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों की भागीदारी के साथ-साथ पहले के मंच यानी एन. ई. टी. को प्रदान किए गए सीमित जनादेश और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संकीर्ण दायरे को एन. जी. टी. के गठन के माध्यम से संबोधित करने का इरादा था।"

जी.

8. मंत्री टेकजोन (पी) लिमिटेड बनाम पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए विशेष अदालत के गठन के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए।

एच.

313

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

क.

फॉरवर्ड फाउंडेशन 9, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए एनजीटी की स्थिति पर निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“40. पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए भारत के संविधान की अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 13 में प्रदान किए गए संवैधानिक जनादेश के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।न्यायाधिकरण पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना शामिल है।स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया है।इसलिए, पर्यावरण अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायाधिकरण के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है।"

ग

9. एनजीटी की स्थापना पर्यावरण के संबंध में अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए अनुसूची VII की प्रविष्टि 13 सूची I के तहत संवैधानिक जनादेश के तहत की गई है और न्यायाधिकरण को पर्यावरण अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था।इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि एन. जी. टी. की भूमिका केवल निर्णयात्मक नहीं थी, बल्कि इसकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी जो निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक श्रेणी की है।एन. जी. टी. की कार्यात्मक क्षमता का उद्देश्य पर्यावरण के क्षेत्र में पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियों का लाभ उठाना था।एन. जी. टी. संविधान 10 के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न पर्यावरण अधिकारों के प्रवर्तन के लिए स्थापित एक सुई जेनरिस संस्थान के रूप में अस्तित्व में आया।

डी.

ई.

10. एन. जी. टी. की स्थापना के बाद, उच्चतम न्यायालय ने सभी संबंधित लोगों के लिए त्वरित और विशेष न्याय के लिए उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित पर्यावरणीय मामलों को एन. जी. टी. को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेश 11 के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन और स्वयं एनजीटी के निर्माण का सक्रिय रूप से निरीक्षण किया।वे अन्य बातों के साथ-साथ एनजीटी पीठों के स्थान से भी संबंधित थे।दूसरे शब्दों में, सर्वोच्च न्यायालय न केवल एन. जी. टी. की पीठों के स्थान के बारे में सचेत था, बल्कि एन. जी. टी. के निर्माण और अन्य पहलुओं को भी अपनी प्रमुखता दी थी।

च

जी.

9 (2019) 18 एससीसी 494।

10 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन 897, पैरा.44, 98. 11 2009 का एसएलपी (सी) 12065।

एच.

11. उपरोक्त प्रारंभिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, अब हम चुनौती को देख सकते हैं।

इस पर विवेकपूर्ण चर्चा

क्या एनजीटी एनजीटी अधिनियम की धारा 14 और 22 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है?

12. जहां तक याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का संबंध है कि एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 और 22 के कारण संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है, तो यह होना चाहिए -

स्मरण हो कि एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ [ऊपर] में, यह है

यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 226,227 और 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और यह अलंघनीय है।इस पहलू पर इस न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई निम्नलिखित प्रासंगिक राय को याद रखा जाना चाहिएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

" 78..... इसलिए हम मानते हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में निहित विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है, जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा है।सामान्य तौर पर, इसलिए, विधानों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कभी भी खारिज या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

79. हम यह भी मानते हैं कि उच्च न्यायालयों में अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने की शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति जहां उच्च न्यायालयों को संवैधानिक व्याख्या के अलावा अन्य सभी न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया जाता है, उससे समान रूप से बचा जाना चाहिए।"

च

13. इस आशय की कानूनी स्थिति पर स्पष्ट स्पष्टीकरण के अलावा कि एनजीटी उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 और 227 के अधिकार क्षेत्र के दायरे में है, भारत संघ की ओर से विद्वान अटॉर्नी जनरल ने भी एल. चंद्र कुमार [ऊपर] के अनुरूप प्रस्तुतियाँ की हैं और कानूनी स्थिति को स्वीकार किया है।

जी.

14. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एल. चंद्र कुमार [उपरोक्त] में उपरोक्त अनुपात के संदर्भ में, उच्च न्यायालय ए के आदेशों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं।

एच.

315

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

एनजीटी। इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, न्यायालय आवश्यक रूप से इस बात पर उचित विवेक का प्रयोग करते हैं कि व्हर्लपूल कॉर्प में मोटे तौर पर निर्धारित परीक्षण के अनुसार याचिका को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए।बनाम के पंजीयक

ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य 12; "14. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है।इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा न केवल संविधान के भाग III में निहित किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथास्थिति वारंट और प्रमाणपत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए भी किया जा सकता है।

ग

15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है।लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय आम तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा।लेकिन इस न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपचार को लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में एक बाधा के रूप में काम नहीं करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, अर्थात्, जहां किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी गई है।इस मुद्दे पर बहुत सारे मामले-कानून हैं लेकिन फोरेंसिक बवंडर के इस चक्र को काटने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने फैसलों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी इस क्षेत्र में हैं।"

डी.

ई.

च

15. यह भी उल्लेखनीय है कि एन. जी. टी. अधिनियम में निहित कुछ भी निहित या स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति बरकरार रहती है और एन. जी. टी. द्वारा उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के विशेषाधिकार को न तो हटाया जाता है और न ही इसे हटाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निश्चित रूप से संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।उच्च न्यायालय प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर कानून के साथ मिलकर अपने विवेक का प्रयोग करता है।उच्च न्यायालय के बाद से

जी.

12 (1998) 8 एससीसी 1.

एच.

316

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

अधिकार क्षेत्र अप्रभावित रहता है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।

ख. क्या एनजीटी की एक सीट हर राज्य में होनी चाहिए?यदि हां, तो क्या उन्हें हमेशा उच्च न्यायालय के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, इस मामले में भोपाल के बजाय जबलपुर कौन सा होगा?

16. प्रत्येक राज्य में एन. जी. टी. पीठ के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता एस. पी. संपत [ऊपर] पर भारी निर्भरता रखते हैं।इसकी सराहना करने के लिए, न्यायालय के निम्नलिखित अवलोकन पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"8. मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि यदि प्रशासनिक न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय के लिए एक समान रूप से प्रभावी और प्रभावी प्रतिस्थापन होना है, जिसके आधार पर केवल विवादित अधिनियम को बनाए रखा जा सकता है, तो एक स्थायी या यदि पर्याप्त काम नहीं है, तो हर उस स्थान पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक सर्किट बेंच होनी चाहिए जहां उच्च न्यायालय की एक सीट है।इसलिए, मैं सरकार को एक स्थायी पीठ स्थापित करने का निर्देश दूंगा और यदि कार्य के खंड को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं है, तो कम से कम 31 मार्च, 1987 को या उससे पहले जहां भी उच्च न्यायालय की कोई सीट है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक सर्किट बेंच।यदि विवादित अधिनियम के प्रावधानों को बनाए रखना है तो यह आवश्यक होगा। जहाँ तक रंगनाथ मिश्रा, जे. के निर्णय में बताए गए बाकी बिंदुओं का संबंध है, मैं उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता हूँ।"

डी.

ई.

17. जैसा कि देखा जा सकता है, न्यायमूर्ति भगवती ने उस मामले में उपरोक्त टिप्पणी की जहां सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में, "कैट") से संबंधित था, जहां मुकदमे की मात्रा काफी अधिक है।यही कारण है कि प्रत्येक राज्य में स्थायी पीठ या सर्किट बेंच स्थापित करने का निर्देश मुकदमे की मात्रा के संदर्भ में व्यवहार्यता का आकलन करने पर आधारित है।यहाँ हमें आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।इस मुद्दे को रेखांकित करने के लिए, एन. जी. टी. की केवल पाँच पीठों के विपरीत, कैट में 17 पीठ और 21 सर्किट पीठ हैं। एन. जी. टी. सी. ए. टी. के विपरीत सीमित संख्या में मामलों को पूरा करता है, जहां मामलों की मात्रा काफी अधिक है।संसदीय स्थायी समिति द्वारा राज्यसभा में पेश की गई 13 वीं रिपोर्ट के अनुसार

च

जी.

एच.

13 100_2020_9_11.पी**.** डी**.** एफ**. (rajyasabha.nic.in)**

क.

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय, कैट में 6 मार्च, 2020 तक 48,000 से अधिक मामले लंबित हैं।

18. जबकि इस पर, हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 14 की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों को भी देख सकते हैं जो 28.02.2022 पर एनजीटी के समक्ष लंबित मामलों को दर्शाता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

19. जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि एन. जी. टी. और सी. ए. टी. द्वारा संभाले गए मामलों की मात्रा तुलनीय नहीं है।सेवा संबंधी मामलों की बड़ी मात्रा को देखते हुए, यह सुझाव दिया गया था कि कैट की पीठ प्रत्येक उच्च न्यायालय की पीठ पर स्थित होनी चाहिए।लेकिन इस तरह का तर्क एनजीटी पर लागू नहीं हो सकता है, जहां इसकी स्थापना की तारीख से कुल मिलाकर क्षेत्रवार विचाराधीनता केवल 2237 मामले हैं।इसलिए, एस. पी. संपत [उपरोक्त] में अनुपात उन याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करता है जो चाहते हैं कि एन. जी. टी. पीठ को भोपाल से जबलपुर में स्थानांतरित किया जाए, जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है।

ई.

20. यह भी ध्यान देने योग्य है कि एनजीटी की सभी पीठों द्वारा 12 महीनों यानी मार्च, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान कुल 2799 मामलों का निपटारा किया गया है।इस अवधि के लिए विचाराधीनता का आंकड़ा केवल 2237 है।निपटान की दर लंबित से अधिक होने के कारण, एनजीटी के सामने कोई बड़ा बैकलॉग मुद्दा नहीं देखा जाता है। एनजीटी की भोपाल पीठ में आश्चर्यजनक रूप से छोटे 107 मामलों पर भी हमें उचित ध्यान देना चाहिए।ये आंकड़े जबलपुर में एन. जी. टी. पीठ या उस मामले के लिए, उन तीन राज्यों में से प्रत्येक में एक व्यक्तिगत एन. जी. टी. पीठ के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए एक उचित आधार प्रदान नहीं करते हैं।21. कम केस लोड के साथ, यदि एनजीटी पीठ सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाती हैं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया है,

च

जी.

एच.

इन मंचों में न्यायाधीशों और अन्य सदस्यों को अपने अंगूठे हिलाते हुए छोड़ा जा सकता है।तदनुसार, प्रत्येक राज्य में एक एनजीटी पीठ की अनुमति देने का कोई आधार नहीं देखा जाता है।

22. अंक बी के पहले भाग के उपरोक्त उत्तर के साथ, दूसरा भाग अनावश्यक हो जाता है।हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।याचिकाकर्ता ने कहा कि एनजीटी की पीठ जबलपुर में होनी चाहिए जहां एस. पी. संपत [ऊपर] के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ स्थित है।इस पहलू पर, उद्धृत मामला पूरी तरह से लागू नहीं है क्योंकि भोपाल पीठ कई राज्यों की जरूरतों को पूरा करती है।ऐसी स्थिति में, पीठ का स्थान जहां तक संभव हो, तीनों राज्यों के वादियों के लिए सुविधाजनक और सुलभ होना चाहिए।यहाँ उत्तरदाताओं का अनुमान है कि भोपाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में केंद्रीय रूप से स्थित है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश की राजधानी होने के नाते भोपाल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बिना किसी कठिनाई के सुलभ है।इससे हमें खुशी होगी कि भोपाल एन. जी. टी. के लिए एक अच्छा स्थान विकल्प है जो तीन राज्यों के वादियों की जरूरतों को पूरा करता है।

ग

डी.

23. भोपाल पीठ में कम मामलों का भार, जबलपुर में पीठ का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं की कठोर याचिका से मेल नहीं खाता है।इसलिए इसे याचिकाकर्ताओं (जो जबलपुर में वकीलों का अभ्यास कर रहे हैं) द्वारा मुख्य रूप से अपने पेशेवर हित का समर्थन करने के प्रयास के रूप में माना जाता है।एनजीटी पीठ को भोपाल से जबलपुर स्थानांतरित करने की एसोसिएशन की याचिका के लिए कोई अन्य तर्कसंगत आधार नहीं देखा गया है।हम याचिकाकर्ताओं को इस तरह की राहत देने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं और मुद्दे बी के दूसरे खंड का जवाब उनके खिलाफ दिया जाता है।

ई.

च

ग. क्या एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 22 के तहत एन. जी. टी. के फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का उपाय संविधान के अधिकार के बाहर है?क्या एनजीटी के फैसलों से उच्च न्यायालयों को एक अपील तंत्र प्रदान किया जाएगा?

जी.

24. याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि एनजीटी द्वारा पारित आदेशों से धारा 22 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बजाय, संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष अधिकार के मामले के रूप में एक अपील तंत्र भी प्रदान किया जाना चाहिए।उनके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में अपील अपर्याप्त और असहनीय है और इसलिए पहुंच से बाहर है।इस पहलू पर यह देखने की आवश्यकता है कि तब भी जब ए को सीधी अपील की जाए।

एच.

उच्चतम न्यायालय को एक न्यायाधिकरण 16 के निर्णय के खिलाफ एक क़ानून 15 द्वारा प्रदान किया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उपचार समाप्त नहीं हुआ है।इसके अलावा, एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 22 के तहत अपील, सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत आधारों तक सीमित है और सर्वोच्च न्यायालय नियमित प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।हालाँकि, अनुच्छेद 226 या 227 के तहत, अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर और एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर में निर्धारित सिद्धांतों के तहत भी उपाय किए जाते हैं।

हाउस लिमिटेड बनाम।वेड्सबरी कॉर्पोरेशन 17, एक के लिए उपलब्ध हैं

पीड़ित पार्टी।विवेकाधिकार का प्रयोग किए जाने के अधीन, प्रभावित वादी अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और ऐसे मामलों में, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक एसएलपी को उच्च न्यायालय के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय में भी बनाए रखा जा सकता है।

ग

25. यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है और यह एक अंतर्निहित अधिकार नहीं है।इसलिए उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान मैंडमस की रिट जारी करके नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह न्यायिक आदेश के माध्यम से कानून बनाएगा और शक्तियों के पृथक्करण की अच्छी तरह से स्थापित अवधारणा पर प्रभाव डालेगा। 26.एक वादी के लिए किसी ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय जाने के लिए उपलब्ध विकल्पों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है या अनुच्छेद 226 या 227 के तहत आगे बढ़ता है।यदि आवश्यक हो, तो एक पक्ष अनुच्छेद 136 याचिका के माध्यम से भी इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।एक पक्ष के लिए इस तरह के विकल्प उपलब्ध होने के कारण अधिनियम की धारा 22 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रीय औचित्य पाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान करता है।

डी.

ई.

27. एक वादी पक्ष को यह भी महसूस करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में, यदि विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो दूसरे पक्ष के वादी को इस न्यायालय के समक्ष अपने मामले का बचाव करना होगा और उस स्तर पर वे दिल्ली की दूरी के बारे में शिकायत नहीं कर सकते।इस प्रकार, एन. जी. टी. के निर्णय से एन. जी. टी. अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील के उपाय को पर्यावरण कानून के क्षेत्र में वादियों को न्याय तक पहुंच से इनकार के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

च

28. सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील का मुद्दा, या न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत याचिकाओं पर विचार करना,

जी.

15 अन्य बातों के साथ, विद्युत अधिनियम, 2003; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997। 16 अन्य बातों के साथ-साथ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। 17 [1948] 1 के. बी. 223।

18 (2017) 7 एससीसी 221, पैरा।36.

एच.

आर. के. जैन बनाम भारत संघ के मामले में विचार किया गया था।19 उक्त निर्णय के पैराग्राफ 76 में, इस न्यायालय ने इस आशय के समान निवेदन को संबोधित किया कि उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ को न्यायाधिकरण के फैसले से अपील तंत्र प्रदान किया जाना चाहिए।हालाँकि, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालयों में अपील के प्रावधानों के निर्माण के लिए निर्देश जारी करने से स्पष्ट रूप से परहेज किया, जिसे एक अस्वीकार्य न्यायिक कार्य माना जाता था।अब तक, विधायिका ने इस न्यायालय की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन फिर वह मुद्दा राज्य की विधायी शाखा के नीतिगत क्षेत्र के भीतर है।

29. रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 20 में सर्वोच्च न्यायालय को पहले अपीलीय मंच के रूप में परिकल्पित किए जाने के निहितार्थ पर विचार किया गया था और उस मामले में केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील के प्रभाव पर अध्ययन करने और परिणामी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था।लेकिन रोजर मैथ्यू [ऊपर] में भी, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह कहने का कोई अवसर नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

ग

30. यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दुर्गम होने के बारे में उठाया गया आधार, पूरे देश के वादियों पर समान रूप से लागू होगा, जिन्हें अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 32 या किसी अन्य प्रावधान के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा करनी होती है।संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत प्रावधान के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय की दिल्ली से दूर कोई अन्य पीठ नहीं है।इन परिस्थितियों में पहुंच न होने का अनुरोध करते हुए याचिकाकर्ता संयोग से नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के स्थान पर भी सवाल उठा रहे हैं।इसके बावजूद इस तरह का विवाद तर्कहीन और स्वीकार्य नहीं होगा।

डी.

ई.

31. यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि यह स्वयं सर्वोच्च न्यायालय है जिसने सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील के साथ पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की थी।यह एनजीटी अधिनियम की धारा 22 की संवैधानिक वैधता पर प्रस्ताव का भी समर्थन करेगा और यह कि यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।नतीजतन, प्रश्न सी के दोनों पहलुओं का उत्तर उत्तरदाताओं के पक्ष में दिया जाता है।

च

डी. क्या एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 3 संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह अत्यधिक प्रत्यर्पण के दुष्प्रभावों से ग्रस्त है?

जी.

32. याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बगल में कि धारा 3 केंद्र सरकार को अत्यधिक प्रत्यर्पण का मामला है।होना ही चाहिए।

19 (1993) 4 एससीसी 119।

एच.

20 (2020) 6 एससीसी 1, पैरा।218.

क.

यह ध्यान में रखा गया कि एन. जी. टी. के संचालन, जिसमें इसकी पीठों का स्थान भी शामिल है, की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बारीकी से निगरानी की गई थी।यह आगे देखा गया है कि केंद्र सरकार को किसी विशेष क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर पर्यावरण मुकदमे की मांग को ध्यान में रखते हुए एनजीटी अधिनियम की धारा 3 के तहत एनजीटी की बैठक के सामान्य स्थान और इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करना है।सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों के साथ-साथ समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा भी निर्देशित किया जाना है।चूँकि सरकार इस न्यायालय के मार्गदर्शन में इस मुद्दे पर काम कर रही है और सरकार एनजीटी अधिनियम के उद्देश्यों का पालन करने के लिए बाध्य है, इसलिए सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय देखे जाते हैं।इसलिए हमारी राय है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 3 अत्यधिक प्रत्यर्पण का मामला नहीं है।

ग

33. याचिकाकर्ताओं को मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. में निर्णय पर काफी निर्भरता के साथ अपनी दलीलों को स्थापित करते हुए देखा जाता है। 21 यह तर्क देने के लिए कि एनजीटी न तो सुलभ है और न ही यह पर्यावरणीय मामलों से निपटने में स्वतंत्र है।भरोसेमंद मामले में, इस न्यायालय ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'एन. टी. टी. अधिनियम') के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया, लेकिन उस मामले के संदर्भ में इसकी सराहना की जानी चाहिए।इसके अलावा, किसी को एन. टी. टी. अधिनियम और एन. जी. टी. अधिनियम के संचालन के बीच के अंतर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से, एन. टी. टी. अधिनियम ने प्रावधान किया कि एन. टी. टी. आम तौर पर नई दिल्ली में बैठेगा।हालाँकि एन. जी. टी. अधिनियम देश भर में पीठों के निर्माण का प्रावधान करता है।इसके अतिरिक्त, एन. टी. टी. को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न अपीलों पर निर्णय लेने की शक्ति निहित थी।यह एक अधिकार क्षेत्र था जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय कुछ मामलों में अनुच्छेद 227 के तहत कर रहे थे, और उस संदर्भ में, यह पाया गया कि एन. टी. टी. अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा था।हालाँकि एन. जी. टी. द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र अलग है, और अलग है, और तुलनीय नहीं है।यह भी स्पष्ट तथ्य था कि केंद्र सरकार के पास एन. टी. टी. के सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की शक्ति थी।एनजीटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इसके अलावा, एन. टी. टी. का गठन केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए किया गया था और यह स्पष्ट नहीं था कि बिना किसी कानूनी प्रशिक्षण के लेखाकार और अन्य तकनीकी सदस्य ऐसे मामलों में उठाए गए मुद्दों से कैसे निपटेंगे।वे परेशान करने वाले मुद्दे एनजीटी अधिनियम में उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 7 के तहत चयन समिति थी

डी.

ई.

च

जी.

21 (2014) 10 एससीसी 1.

एच.

न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के तहत एनजीटी के लिए चयन समिति के विपरीत, जिसमें स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रभुत्व है, सरकार के दो सचिवों का प्रभुत्व है।

34. एन. जी. टी. अधिनियम और एन. टी. टी. अधिनियम के संचालन के बीच सभी हड़ताली अंतरों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं की एन. टी. टी. निर्णय पर निर्भरता, जिसे एन. टी. टी. अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, पूरी तरह से गलत पाई गई है।

35. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को संबोधित करते हुए कि एनजीटी को सेवा और कार्यकाल की शर्तों आदि के कारण उच्च न्यायालयों के समान दर्जा और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, यह कहना उचित होगा कि हालांकि लिखित प्रस्तुतियों के पैराग्राफ 33 में, याचिकाकर्ता न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और बनाए गए नियमों के विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित हैं, जो न तो याचिका में उठाए गए थे और न ही न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के संदर्भ में किसी राहत का दावा किया गया है। स्पष्ट रूप से, मौखिक सुनवाई के दौरान उन पर भी बहस नहीं की गई थी।इसलिए, हमें उन पहलुओं में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे तत्काल कार्यवाही के दायरे से बाहर हैं।

ग

डी.

36. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम की वैधता का सवाल इस न्यायालय में कई मामलों में लंबित है

डब्ल्यू. पी. (सी) 1018/2021 मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ

भारत।वर्तमान जैसे कुछ ऐसे ही मुद्दे लंबित मामलों में भी उठाए गए हैं जहां भारत संघ ने अपने रुख का संकेत देते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया है।चूंकि वे मुद्दे लंबित मामले में विचाराधीन हैं, इसलिए उन मामलों में भी निर्णय लिया जाना बाकी है।

ई.

37. उपरोक्त सभी कारणों से, एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 3 को भारत के संविधान के अंतर्गत पाया गया है।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारा निष्कर्ष इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है, और हम उन मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं जो डब्ल्यू. पी. (सी) में विचाराधीन हैं।

च

1018/2021 मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ।

निष्कर्ष

जी.

38. उपरोक्त विश्लेषण के परिणामस्वरूप, हमारे निष्कर्ष हैं, ए. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 और 22 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।

एच.

323

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [ऋषिकेश रॉय, जे.]

क.

बी. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 22 के तहत उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का उपाय भारत के संविधान के अंतर्गत है।

ग. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति सौंपने का मामला नहीं है।

डी. एन. जी. टी. पीठों की सीट आवश्यकता के अनुसार स्थित हो सकती है और प्रत्येक राज्य में उनका पता लगाना आवश्यक नहीं है।भोपाल एन. जी. टी. को जबलपुर में स्थानांतरित करने की प्रार्थना अपरिवर्तित है और खारिज कर दी गई है।

39. पूर्वगामी निष्कर्षों के साथ, रिट याचिका योग्यता से रहित पाई जाती है और खारिज कर दी जाती है।पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना होगा।

ग

निधि जैन

लिखित याचिका खारिज की गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.